

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समावेशी तथा भेदभाव मुक्त स्कूल

नदीम अली हैदर खान

मतदाता वर्ग की दृष्टि से बच्चों के गैरजरूरी होने या कमजोर होने के कारण नीति निर्माताओं के लिए उनका कोई 'मतपत्र मूल्य' नहीं होता। शायद यह उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से सभी को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए कानून बनाने में इतना लम्बा समय लगा। बच्चे राजनीति में गैर–सक्रिय व्यक्ति होते हैं, इसलिए एक अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में अपने हित की पैरवी करने के लिए उनके पास कोई अवसर नहीं होता। इस तथ्य के बावजूद कि बच्चे इस मौलिक अधिकार के अकेले हितग्राही होते हैं, अकसर वे दूसरों की कृपा पाने वाले भर होते हैं। यह परिस्थिति समावेशी शिक्षा के विकास को एक बहुत मुश्किल कार्य बना देती है। उनकी जरूरतें अकसर पालकों, परिवारों, जाति, जनजाति, समुदाय और समाज के दृष्टिकोणों से देखी जाती हैं, जो सामान्यतया लोकाचार, मूल्यों, रीति–रिवाजों तथा संस्कृति के वाहक होते हैं, लेकिन सिर्फ वे ही इनके वाहक नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि वे हमेशा संवैधानिक आचरण का पालन करते हों, बल्कि वे आमतौर पर अपने आचरण में पितृसत्तात्मक, सामन्ती, जातिवादी तथा साम्प्रदायिक/धार्मिक होते हैं, और उनका आधार दूसरों को बाहर रखना तथा ज्यादातर भेदभाव वाली प्रकृति का होता है। एन.सी.एफ.–एन.सी.ई.आर.टी.का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा लड़कियों की शिक्षा के बारे में प्रस्तुत किया गया आधार पत्र तथा जस्टिस राजिंदर सच्चर आयोग की रिपोर्टें इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को तथा बालिकाओं को प्रारम्भिक स्कूलों में भेदभाव पूर्ण व्यवहारों का सामना करना पड़ता है, जिसका परिणाम उनकी नामांकन दर का कम होना और उनके स्कूल बीच में छोड़ देने की दर का बहुत अधिक होना होता है।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.एक्ट) 2009 को सभी बच्चों के लिए, चाहे उनकी जाति, वर्ग, लिंग, धार्मिक तथा अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान जो भी हों, प्रारम्भिक शिक्षा को सभी जगह उपलब्ध कराने के लिए पारित किया गया है। इसका उद्देश्य भेदभाव से मुक्त स्कूलों को प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा स्कूलों की निगरानी करने, उनमें भेदभाव को रोकने, उसका समाधान करने और उसे दूर करने के लिए समुदायों और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है।

स्कूलों में समावेश के प्रश्न को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है : सामाजिक जनसांख्यिकी (मैं इसे आसपास के इलाके पर केन्द्रित दृष्टिकोण कहना पसन्द करता हूँ), पहचान, बच्चों का वर्गीकरण और श्रेणीकरण, प्रतिनिधित्व, भागीदारी, विषयवस्तु, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धति और वित्त सम्बन्धी दृष्टिकोण। समावेश के सन्दर्भ में आर.टी.ई. एक्ट की सर्वांगीण समीक्षा करने के लिए ये सभी दृष्टिकोण बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

सबसे पहले, आसपास के इलाके की प्रकृति, दूसरे शब्दों में जाति, वर्ग, धार्मिक या किसी विशेष समूह की संस्कृति के आधार पर पृथक किए जाने वाले क्षेत्र की प्रकृति, उस इलाके के स्कूलों की प्रकृति भी निर्धारित करेगी। इसलिए, एक प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि क्या आर.टी.ई.एक्ट सामाजिक तथा जनसांख्यिकीय पृथक्करण के सवाल का स्कूलों के द्वारा समाधान करने का इरादा रखता है, और यदि ऐसा है तो यह किस तरह होगा? इस प्रश्न का कारगर तरीके से समाधान किए बिना, क्या स्कूल एक समन्वयात्मक स्थान बनने के बजाय एक अलगाव वाला स्थान ही नहीं बने रहेंगे? दूसरे, निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का प्रावधान किस हद तक वंचित समूहों के बच्चों और कमजोर वर्गों के बच्चों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकेगा; स्कूलों की श्रेणी और वर्ग से प्रभावित हुए बिना प्रारम्भिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ कराने में मदद कर सकेगा; निजी तथा आसपास के इलाके के स्कूलों को समावेशी बना सकेगा? तीसरे, उनकी भागीदारी इसमें नीचे से ऊपर की ओर बनने वाली समझ के आयाम को

स्कूल व्यवस्था में जोड़ेगी। हितग्राहियों और सभी सम्बन्धित भागीदारों का इस प्रक्रिया में शामिल होना स्कूल के स्वरूप को तय करेगा, उस पर समुदाय के स्वामित्व का प्रतिरूप निर्मित करेगा और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ेगा। आर.टी.ई. का ढाँचा स्कूल प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.), स्थानीय निकायों, स्कूल विकास योजना, सामुदायिक निगरानी तथा सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से सभी की भागीदारी के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। परन्तु, इस समय प्रश्न समुदाय की भागीदारी की प्रक्रिया के बारे में उठता है: ऐसी प्रक्रियाएँ किस तरीके से वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थानिक ढाँचे पर सवाल खड़े करेंगी और उनका समाधान खोजेंगी, तथा समावेशी नियोजन और निगरानी को सम्भव बनाएँगी?

अन्त में, चिन्ता करने का एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय वित्तीय साधनों और संसाधनों का आबंटन है। आर.टी.ई. एक्ट एक बहुत महत्त्वाकांक्षी अधिनियम है और इसके साथ वित्तीय प्रवाह को बनाए रखने और क्रमिक रूप से आबंटन को बढ़ाने की चुनौती जुड़ी हुई है। डी.आई.एस.ई. के 2009–10 के आँकड़ों तथा सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय रिपोर्टों के आधार पर अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन के अकाउंटेबिलिटी इनीशिएटिव (जवाबदेही पहल) ने राज्यों तथा केन्द्र की सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर किए जाने वाले प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय की दृष्टि से विभिन्न राज्यों

तालिका 1 – वंचित समूहों के बच्चों के अन्तर्गत आने वाले समूह

वंचित समूह	राज्य
अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ	सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश
पिछड़ी जाति	कर्नाटक, गुजरात, त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान (वार्षिक आय 2.5 लाख तक) तथा उत्तराखण्ड और दिल्ली (सम्पन्न वर्ग – क्रीमी लेयर – को छोड़ कर)
शैक्षिक रूप से पिछड़ी जनजातियाँ	नागालैण्ड
अनाथ	आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा मणिपुर, केरल, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, नागालैण्ड
विशेष जरूरतों वाले/अक्षमता ग्रस्त बच्चे	आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, हिमाचलप्रदेश, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, केरल तथा उत्तराखण्ड
प्रवासी	आंध्रप्रदेश, कर्नाटक
सड़कों पर रहने वाले बच्चे	आंध्रप्रदेश
एच.आई.वी. संक्रमित बच्चे	आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा मणिपुर, केरल, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु तथा नागालैण्ड
गरीबी रेखा के नीचे	मिजोरम
पारम्परिक व्यवसाय में संलग्न समुदाय	केरल
सफाई कामगारों के बच्चे	तमिलनाडु
विपरीत–लिंगी (ट्रांसजेंडर)	केरल तथा तमिलनाडु
वैकल्पिक नामांकन वाले 14 साल से ऊपर के बच्चे	केरल
80,000 रु से कम वार्षिक आय वाली विधवा/तलाकशुदा महिला के बच्चे	उत्तराखण्ड
4.5 लाख रु. से कम वार्षिक आय वाले अक्षमता ग्रस्त माता–पिता/एच.आई.वी. संक्रमित माता–पिता के बच्चे	उत्तराखण्ड

तालिका 2 – कमजोर वर्गों के बच्चों के अन्तर्गत आने वाले समूह

कमजोर समूह	राज्य
गरीबी रेखा से नीचे	अरुणाचल प्रदेश, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान तथा मिजोरम, गुजरात, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा
अनाथ/एच.आई.वी.संक्रमित/युद्ध विधवा के बच्चे/विशेष जरूरतों वाले/अक्षमता ग्रस्त बच्चे	हरियाणा
घुमन्तू जनजातियाँ तथा विमुक्त (डिनोटीफाइड) जनजातियाँ	महाराष्ट्र
धार्मिक अल्पसंख्यक	महाराष्ट्र
अन्य पिछड़ी जातियाँ तथा विशेष पिछड़ी जाति	महाराष्ट्र
पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा 60,000 रु. तक की वार्षिक आय वाला अन्य वर्ग	आंध्रप्रदेश
वार्षिक आय	
< 40000 रु.	मणिपुर, नागालैण्ड
< 55,000 रु.	उत्तराखण्ड
< पिछड़ी जातियों के लिए अधिसूचित संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर)	कर्नाटक
< 1 लाख रु.	दिल्ली, महाराष्ट्र
< 2 लाख रु.	तमिलनाडु
< 2.5 लाख रु.	राजस्थान

के बीच की असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। जहाँ एक ओर मेघालय तथा केरल ने इस पर क्रमशः 23,000 रु. तथा 19,000 रु. व्यय किए, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल ने केवल 3500 रु. व्यय किए। केवल दस राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय, 9500 रु. के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसलिए चुनौती एक तरफ इसमें समानता लाने की है और दूसरी ओर इसका स्तर बढ़ाने की है।

बच्चों की पहचान करना, वर्गीकरण, तथा श्रेणीकरण: वंचित समूहों के बच्चों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के समावेश का विचार

आर.टी.ई. अधिनियम वंचित समूहों के बच्चों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को 8वीं कक्षा तक सभी निजी स्कूलों (सरकारी सहायता न पाने वाले स्कूलों, अल्पसंख्यक वर्गों के स्कूलों, तथा विशेष रूप से उल्लेख किए गए स्कूलों जैसे कि केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा सैनिक स्कूलों आदि को छोड़कर) में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इसके अनुसार, इन स्कूलों को कक्षा 1 में कुल उपलब्ध स्थानों में से 25% को वंचित समूहों के बच्चों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है [आर.टी.ई.अधिनियम का खण्ड 12(1) (सी)]।

आर.टी.ई.अधिनियम वंचित समूहों के भीतर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को दो प्रमुख श्रेणियों के रूप में शामिल करता है, तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समूहों या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई तथा लिंगभेद सम्बन्धी कारकों के आधार पर किन्ही अन्य समूहों को शामिल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ता है [खण्ड 2(डी)]। कमजोर वर्गों के बच्चों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित आय के मानदण्डों के आधार पर वर्गीकृत

किया जाता है [खण्ड 2(ई)]। केवल 15 राज्यों ने वंचित समूहों के बच्चों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों का वर्गीकरण किया है, जबकि सभी केन्द्र शासित प्रदेशों ने केन्द्रीय प्रतिरूप नियमों (सेंट्रल मॉडल रूल्स) को ही अपना लिया है। बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, असम और जम्मू तथा कश्मीर ने वंचित समूहों के बच्चों को परिभाषित नहीं किया है, और न ही कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आय के मानदण्डों को निर्धारित किया है। तालिकाएँ 1 तथा 2 क्रमशः वंचित समूहों के बच्चों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं और इन दोनों समूहों के वर्गीकरण में विसंगति को स्पष्ट करती हैं।

इस बात पर गौर करना दिलचस्प है कि केवल आंध्रप्रदेश तथा हरियाणा ने वंचित समूहों के बच्चों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के बीच में सीटों का बँटवारा करने के लिए नियम बनाया है, तथा आंध्रप्रदेश नियमावली के नियम 9 (4) के अनुसार, 19% सीटें वंचित समूहों के लिए निर्धारित हैं – जिसमें 10% अनुसूचित जाति, 4% अनुसूचित जनजाति, तथा 5% अनाथ, एच.आई.वी. संक्रमित, अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिए हैं – शेष 6% स्थान कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं – जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों, पिछड़ी जातियों तथा 60,000 रुं तक की वार्षिक आय वाले अन्य समूहों के बच्चे शामिल हैं। इसी प्रकार हरियाणा की नियमावली के नियम 7 (4) का प्रतिबन्ध 5% स्थान अनुसूचित जातियों के, 4% वर्ग ए की अन्य पिछड़ी जातियों के तथा 2.5% वर्ग बी की अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चों को प्रदान करता है। आंध्रप्रदेश और हरियाणा के नियम सबसे कमजोर बच्चों की शिक्षा तथा प्रतिनिधित्व तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए, स्तरों में बँटी हुई कोटा व्यवस्था के द्वारा, एक उपाय प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

आर.टी.ई.अधिनियम का इरादा भेदभाव–मुक्त स्कूलों को सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करना सरकार [खण्ड 8 (सी)] तथा स्थानीय अधिकारी [खण्ड 9 (सी)] का कर्तव्य है कि स्कूलों में किसी भी वंचित समूह के बच्चों या कमजोर वर्ग के बच्चों के खिलाफ भेदभाव न किया जाए और न ही उनको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से और उसे पूरी करने से रोका जाए। इसके अलावा, मॉडल आर.टी.ई. का नियम सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी डालता है कि प्रत्येक स्कूल जाति/धर्म/लिंगभेद के आधार पर दुर्व्यवहार से मुक्त हो [नियम 5(3)] मॉडल नियम,। मणिपुर की नियमावली का नियम 5(3) तथा आंध्रप्रदेश की नियमावली का नियम 6(3) स्पष्ट रूप से स्कूलों में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर प्रवेश देने से इनकार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। मॉडल नियम [नियम 5(4)] तथा राज्य नियम [उदाहरण के लिए, आंध्रप्रदेश नियमावली के नियम 6(4)] इसके दायरे को और स्पष्ट करते हुए उसमें सरकार तथा स्थानीय अधिकारी को विशेष रूप से यह गारण्टी प्रदान करने का आदेश देते हैं कि सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों की कक्षाओं में, मध्यान्ह भोजन के दौरान, खेल के मैदान में, साझा पीने के पानी तथा शौचालय सुविधाओं का इस्तेमाल करने में, तथा शौचालयों और कक्षाओं को साफ करने में ऐसे किसी भी बच्चे को दूसरों से अलग रखने या उसके प्रति भेदभाव करने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके आगे, मॉडल नियम का नियम 7 तथा आंध्रप्रदेश की नियमावली का नियम 8 प्रत्येक सरकारी–सहायता न पाने वाले स्कूल तथा विशेष रूप से उल्लिखित स्कूलों को यह आदेश देते हैं कि ऐसे बच्चों को न तो कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग रखा जाए, और न ही उनकी कक्षाएँ अलग स्थानों तथा अलग समय पर लगाई जाएँ। ऐसे बच्चों से पाठ्यपुस्तकों, गणवेशों (यूनिफार्म्स), पुस्तकालय, आई. सी.टी., पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों तथा खेलकूद सहित सभी अधिकारों और सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भेदभाव हरगिज नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष तथा आगे की राह

अन्त में प्रश्न यह है कि – क्या नए आर.टी.ई. की व्यवस्था नागरिकता तथा संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी स्कूलों, दोनों को समायोजित करने का नया मार्ग प्रशस्त करेगी? या कि यह दीवार में एक और ईंट भर साबित होगी? इसके बाद अगला सवाल यह उठता है कि यह पुरानी चुनौतियों तथा नई आवश्यकताओं का समाधान कैसे करेगी और दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी?

वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था में इस स्तर पर भेदभाव को पहचानने, उसका सामना करने, निगरानी रखने और उसे दूर करने के लिए कोई निश्चित तथा समरूप उपाय नहीं है। इसके न होने के कारण समावेशी स्कूलों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसी कार्यपद्धति विकसित करने की

तथा विशेष गुणवत्ता सूचकों पर आधारित प्रक्रिया आरम्भ करने की जरूरत महसूस की जाती है। स्कूलों की संस्था को लोकतांत्रिक, भागीदारी पूर्ण, समावेशी तथा भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए, पी.आर.आई. सहित सभी संस्थानों को राह दिखानी होगी। शिक्षा तथा स्कूल न्याय हासिल करने के साधन तथा साध्य दोनों हैं, लेकिन शिक्षा अकेली अपने–आप में मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकती। उसे इन संस्थानों द्वारा सतत जारी भेदभाव पूर्ण लोकाचार से मुक्त कराना जरूरी है। सक्रिय नागरिक समुदाय ही शिक्षा की संस्था को एक सक्रिय, समावेशी तथा भेदभाव–मुक्त संस्था में रूपान्तरित करेगा और सक्रिय, समावेशी तथा भेदभाव–मुक्त स्कूलों की संस्था क्रमिक रूप से एक सक्रिय नागरिक समुदाय विकसित करेगी। इन दोनों के पूरी तरह पृथक स्थिति में रहने से यह घटित नहीं होगा। वंचित समूह के बच्चों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों की पहचान करने के व्यापक सिद्धान्तों तथा मानदण्डों को स्पष्ट करने और अपनाने के मुद्दे पर विचार–विमर्श करना समावेशी स्कूलों की दिशा में बढ़ने के लिए एक अच्छा प्रस्थान बिन्दु हो सकता है।

नदीम अली हैदर खान वर्तमान में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से इण्टरनेशनल एण्ड कम्पैरेटिव लॉ में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें न्याय तक पहुँच के मुद्दों पर कार्य करते हुए सात वर्ष हो चुके हैं। उनसे nadimnikhat@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवादः** सत्येन्द्र त्रिपाठी